

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद  
(कुशल कुमार कोठारी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :- 33 / 2021  
जीसीएमएस न:- 2021 / 100  
दायर दिनांक :- 01 / 10 / 2021  
निर्णय दिनांक :- 11 / 09 / 2023

अनवान

1. श्री मांगीलाल पिता केशा कुम्हार, निवासी जवारिया, तहसील गढबोर, जिला राजसमंद
2. श्री जमनालाल पिता केशा कुम्हार, निवासी जवारिया, तहसील गढबोर, जिला राजसमंद
3. श्री सोहनलाल पिता केशा कुम्हार, निवासी जवारिया, तहसील गढबोर, जिला राजसमंद

—अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गढबोर जिला राजसमन्द

— रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार गढबोर प्रकरण संख्या 73 / 2021 ना0क0  
बअनवान सरकार बनाम धर्मसिंह निर्णय दिनांक 14.09.2021

उपस्थित :-

- 1—श्री गिरीश चन्द्र पुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्ट
- 2—श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

निर्णय दिनांक 11.09.2023

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम जवारिया पटवार हल्का खरनोटा तहसील गढबोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 222 रकबा 0-01-00 भूमि किस्म मगरी बिलानाम पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रमी मानते हुये लगान 1 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 50/- आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 14.09.2021 को पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।


उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट तीनों सगे भाई हैं, और ग्राम पंचायत खरनोटा ने इनके पिता केशा पिता लालु कुम्हार को पटटा संख्या 1259 दिनांक 30.08.1993 को 30 × 45 वर्ग फीट का दिया गया था, जिस पर अपीलांट अपने पिता के समय से काबिज है। केशा पिता लालु कुम्हार ने कच्चा घर भी बनाया था, उनके निधन के बाद अपीलान्टस का ही उपयोग, उपभोग है।



अपीलांट के राजस्व ग्राम जवारिया पटवार हल्का खरनोटा तहसील गढबोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 222 रकबा 0-01-00 भूमि किस्म मगरी बिलानाम पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार गढबोर के यहा रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस प्रेषित किया और उसमें अपीलान्ट के विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित किया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अपीलान्ट को जवाब पेश करने का अवसर भी नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने टाईप शुदा फैसला कर दिया, सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।


राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम जवारिया पटवार हल्का खरनोटा तहसील गढबोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 222 रकबा 0-01-00 भूमि किस्म मगरी बिलानाम पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार गढबोर के यहा रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस प्रेषित किया और उसमें अपीलान्ट के विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित किया गया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावे, तथा अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस, प्रस्तुत विधिक नजीरों, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध, रिकार्ड, एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम जवारिया पटवार हल्का खरनोटा तहसील गढबोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 222 रकबा 0-01-00 भूमि किस्म मगरी बिलानाम पर अतिक्रमण है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956, की धारा-91, में की गई बेदखली की कार्यवाही तथा लगान 1 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 50/- आरोपित करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91, के प्रावधानों व निर्धारित विधिक प्रक्रियानुसार होने से विधि सम्मत है, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता है, अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारीज की जाती है।

  
(नरेश बुनेकर) 11/09/2023  
अति० जिला कलक्टर  
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 11.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर रहें।



  
(नरेश बुनेकर) 11/09/2023  
अति० जिला कलक्टर  
राजसमन्द